

5/8/22 पत्रावली जेठ 27। वारीगण  
 के अधिवक्ता उपलब्ध। वारीगण  
 के अधिवक्ता ने रिक्वेस्ट किया है कि  
 वाड को आगे नहीं चलाये हेतु  
 दिनांक 3/01/22 को ही NOT Press  
 कर दिया गया था। किंतु 12/01/22  
 तक अधिवक्ता नहीं मिली गयी।  
 अतः प्रकरण आठ NOT Press में  
 खातीज की गयी। अतः वाड वारीगण  
 NOT Press में खातीज किया जाएगा  
 पत्रावली नष्ट है इस हेतु  
 साक्षिण उपलब्ध है।

(सुनील कुमार चौहान)  
 उपजम्ह अधिकारी बुहाना  
 जिला सुन्सुनू (राज.)

